

न्यायालय :-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-1076 / 2012
संस्थित दिनांक-31.12.2012
फा.नंबर-234503000982012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1. रामेश्वर तेकाम पिता बैसाखू जाति गोण्ड, उम्र 25 वर्ष,
 2. बैसाखू तेकाम पिता बिसराम तेकाम जाति गोण्ड, उम्र 52 वर्ष,
 3. कान्ती बाई पति बैसाखूसिंह जाति गोण्ड, उम्र 45 वर्ष,
- सभी निवासी-परसाटोला बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-08 / 11 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-342, 323 498क एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.06.12 से दिनांक 26.11.12 के मध्य ग्राम परसाटोला करेली थाना बैहर अंतर्गत फरियादी संध्या को खटिया में रस्से से बांधकर सदोष परिरोध कारित कर फरियादी संध्या के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहृति कारित किया, घटना दिनांक 05.06.11 को फरियादी संध्या से रामेश्वर से विवाह के एक वर्ष पश्चात से स्थान ग्राम करेली, थाना बैहर अंतर्गत फरियादी के पति/ससुर/सास होते हुये फरियादी संध्या को मोटर साइकिल एवं नगद राशि के रूप में दहेज की मांग कर उसके साथ कूरता पूर्ण व्यवहार कर फरियादी संध्या विवाह के संबंध में उसके माता पिता/पालक से संध्या के माध्यम से परोक्ष रूप से दहेज के रूप में मोटर साइकिल व नगद राशि की मांग की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि शासकीय अस्पताल बैहर से संध्याबाई की अस्पताल तहरीर जांच हेतु प्राप्त होने पर जांच उपरान्त प्रार्थिया संध्याबाई के कथन लिए गए। मुर्तजर संध्याबाई ने बताया कि उसका विवाह दिनांक 05-06 मई 2011 को सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार हुआ था। शादी के एक वर्ष बाद से आरोपीगण उसे मायके से मोटरसाइकिल नहीं तो 50,000/- रु. नगदी लेकर आ कहकर मारपीट कर प्रताड़ित करते रहते थे। दिनांक 16 जून 2012 को उसके ससुर बैशाखू ने मोटरसाइकिल नहीं तो 50,000/- रुपये नगदी लाने के लिये उसे बस में बिठाकर उसके मायके चीचगांव पहुंचा दिये थे, तब उसने पूरी बात अपने माता-पिता को बताया थी। 50,000/- रुपये या मोटरसाइकिल नहीं लाई कह कर दिनांक 25.11.12 को उसके पति ने दोपहर 2.30 बजे से 5.00 बजे तक हाथ मुक्के तथा कमर के बेल्ट से उसे खटिया पर पटक-पटक कर मारा, जिससे उसके होंठ तथा पीठ में दर्द है और जब उसने खाना मांगी तो उसके पति उसे मारने के लिए दौड़े तब वह भाग रही थी कि घर के बाड़ी में बनी कुआ में गिर गयी, तब उसे उसके पति एवं मोहल्ले वालों ने निकाले और उसे पड़ोसी के यहां खाना खिलाकर पति अपने घर लेकर आया और उसके दोनों हाथ रस्से से बांध दिये और उसे खटिया पर लिटाकर खटिया में बांध दिये और कमरे का दरवाजा बंद कर दिये। रात करीब 11:00 बजे उसके माता-पिता आये, तब उसे ईलाज के लिये अस्पताल ले जाकर भर्ती किये थे। तहरीर जांच उपरान्त धारा-498ए, 342, 323, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र क्रमांक 176/12 दिनांक 19.12.12 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-342, 323 498क एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार

किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:—

1. क्या दिनांक 16.06.12 से दिनांक 26.11.12 के मध्य ग्राम परसाटोला करेली थाना बैहर अंतर्गत फरियादी संध्या को खटिया में रस्से से बांधकर सदोष परिरोध कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने फरियादी संध्या के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किये ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर घटना दिनांक 05.06.11 को फरियादी संध्या से रामेश्वर से विवाह के एक वर्ष पश्चात से स्थान ग्राम करेली, थाना बैहर अंतर्गत फरियादी के पति/ससुर/सांस होते हुये फरियादी संध्या को मोटर साइकिल एवं नगद राशि के रूप में दहेज की मांग कर उसके साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया ?
4. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त अवधि में किसी समय ग्राम करेली में फरियादी के पति/ससुर/सांस होते हुये फरियादी संध्या विवाह के संबंध में उसके माता पिता/पालक से संध्या के माध्यम से परोक्ष रूप से दहेज रूप में मोटर साइकिल व नगद राशि की मांग की ?

सकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 पर निष्कर्ष:—

साक्ष्य की पुनरावृत्ति तथा सुविधा की दृष्टि से चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 5—** साक्षी संध्या अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उसकी शादी वर्ष 2011 में रामेश्वर के साथ हुई थी। घटना वर्ष 2012 की है। वह कुएं में गिर गई थी, उसके बाद उसे बैहर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके मायके वाले उस

समय आये थे तथा उसके अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पुलिस वालों ने उसके बयान दर्ज किये थे। उसने आरोपीगण द्वारा 50 हजार रुपये नगद तथा मोटर सायकल दहेज में मांगने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी। उसके ससुराल में उसे दहेज की मांग को लेकर कभी प्रताड़ित नहीं किया गया है। उसका मुलाहिजा हुआ था। पुलिस वालों के द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

06— साक्षी संध्या अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस थाना बैहर में आरोपीगण द्वारा दहेज में 50 हजार रुपये और मोटर सायकल की मांग के संबंध में प्रताड़ित करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, आरोपीगण ने उसे जान बूझकर दहेज की मांग कर मारपीट किये थे, उसने आरोपीगण की प्रताड़ना से परेशान होकर अपने मायके वालों को खबर दी थी, आरोपीगण ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिये थे, तब वह ललिताबाई के घर उनके आश्रय में उसके घर रुकी थी, जहां उन्होंने उसे खाना खिलाये थे, आरोपीगण ने उसे खटिया में बांधकर रखे थे, उसके मायके वालों ने आकर उसे छुड़ाया था, उसका आरोपीगण से राजीनामा हो चुका है, इसलिये वह सही बात नहीं बता रही है।

07— साक्षी संध्या अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है और वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है, आदिवासी गोंड जाति में प्रचलित रूढ़ि अनुसार उसका आपसी विवाह विच्छेद हो चुका है, उसे अपना स्त्रीधन नुकसानी सहित वापस प्राप्त हो चुका है, उसने पुलिस थाना बैहर में दहेज के संबंध में आरोपीगण के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी और ना ही पुलिस को कथन दी थी, पुलिसवालों ने उसके कथन कैसे दर्ज किये, वह नहीं बता सकती, आरोपीगण ने उसे दहेज के लिये शारीरिक और

मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, ऐसे भी पुलिस को कथन नहीं दिये थे।

08— साक्षी रामकिशोर अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी बैशाखू, रामेश्वर एवं कांतिबाई को जानता है। प्रार्थी संध्याबाई उसकी भांजी है, जिसे वह जानता है। आरोपी रामेश्वर एवं संध्या का विवाह 06 मई 2011 को जाति रीति रिवाज अनुसार ग्राम चीचगांव जिला मण्डला में संपन्न हुआ था। दिनांक 16 जून 2012 को उसे संध्याबाई ने बताया की दहेज की मांग में मोटरसायकिल एवं 50,000/- रुपये को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। एक बार प्रार्थी संध्या के साथ हुए वाद-विवाद के कारण उसके ससुर बैशाखू ने उसे चीचगांव छोड़ दिये थे। आरोपी रामेश्वर ग्राम चिचगांव आया था, तब समझाकर लड़की संध्या को भेज दिये थे। संध्या का फोन उनके पिता प्रताप को आया तो उन्होंने बताया कि लड़की को दहेज में मोटरसायकिल की मांग को लेकर मार-पीट करते हैं तो वह और प्रतापसिंह रामेश्वर के घर ग्राम परसाटोला गये, और देखे तो दरवाजा बंद था, आवाज देकर खुलवाया और अंदर जाकर देखा तो संध्या को खटिया पर रस्सी में बांध कर रखे थे, और बेल्ट से मार-पीट किया है। फिर उन्होंने खुलवाया। संध्या का उपचार सामु.स्वा.केन्द्र बैहर में करवाये थे। उनके सामने रामेश्वर से एक बेल्ट, एक रस्सा प्रपी-3, के अनुसार जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने संध्याबाई से शादी का आमंत्रण कार्ड, शादी की फोटो एवं दहेज की सूची जप्त कर प्रपी-4 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी को उसके पुलिस कथन प्रपी-5 पढ़कर सुनाये जाने से साक्षी ने ऐसा बयान पुलिस को देना व्यक्त किया।

09— साक्षी रामकिशोर अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रार्थिया संध्या उसकी सगी भांजी है। उसका विवाह आरोपी रामेश्वर से उन लोगों ने जाति रिवाज अनुसार संपन्न किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि

शादी तय होने से शादी होने तक रिश्तेदार होने के संपूर्ण प्रक्रिया में वह उपस्थित रहा है, शादी तय होने से लेकर शादी तक आरोपीगण ने कोई दहेज की मांग नहीं किये, वह उसकी भांजी के पास परसाटोला एक बार गया था, उसकी भांजी ने जब वह गया था, तब दहेज के बारे में उसे कुछ नहीं बताई थी, आरोपी ने उसके सामने पचास हजार रुपये और मोटरसायकिल की मांग कभी नहीं किया था। यह स्वीकार किया है कि उसने संध्या और रामेश्वर को समझाया था कि अच्छे से रहो, किन्तु यह अस्वीकार किया कि संध्या मायके ग्राम चीचगांव में रहने की ज़िद करती थी। प्रतापसिंह उसकी बुआ का लड़का है। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतापसिंह ने उसे बताया कि संध्या कुएं में गिर गई है। यह उसे आरोपी बैशाखू ने बताया था, यह स्वीकार किया कि संध्या की कुएं में गिरने की सूचना आरोपीगण द्वारा ही ग्राम चीचगांव में दी गई थी तथा संध्या के कुएं में गिरने वाली बात को आरोपीगण ने नहीं छुपाया था और आरोपीगण ने उन सभी को बुलाया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि संध्या अमरुद तोड़ते समय कुएं में गिर गई थी।

10— साक्षी रामकिशोर अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि सूचना मिलने के बाद लगभग 10 बजे रात को ग्राम परसाटोला गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सभी रिश्तेदारों ने मिलकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाये थे, आरोपीगण से बात-चीत होने के बाद में अस्पताल में भर्ती करवाये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि संध्या को रस्सी से खटिया में बांधने वाली बात झूठी बताया था तथा संध्या ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उन लोगों ने मिलकर झूठी रिपोर्ट लिखवाये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि संध्या को आरोपीगण के द्वारा मारते हुये नहीं देखा था, संध्या को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद आरोपीगण से बगैर सलाह के अपने साथ ले गये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि प्रार्थिया संध्या से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाये थे।

11— साक्षी रामकिशोर अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि उसे संध्या के भाई और माता-पिता ने दहेज के सामान को वापस ले जाने की बात नहीं बताये है। पुलिस वालों ने उसके कथन घटना के दूसरे दिन ही पूछताछ कर लिये थे। ऐसा नहीं है कि घटना के पांच-छः दिन बाद लिये होंगे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि यदि घटना के 5-6 दिन बाद उसके कथन लिखे गये हैं, तो वह गलत है। यह स्वीकार किया कि प्रपी-3 एवं प्रपी-4 में उसने स्वयं हस्ताक्षर किया है तथा पंचनामा में हस्ताक्षर किस तारीख को किया था, उसे याद नहीं है। यह स्वीकार किया कि हस्ताक्षर उसने घटना के 2-3 दिन बाद थाने में किया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके सामने कोई सामान जप्त नहीं किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के एक सप्ताह के बाद उसका परसाटोला जाने का कोई काम नहीं पड़ा, एक सप्ताह बाद पुलिस ने परसाटोला से कोई सामान जप्त नहीं किया, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसकी भांजी से कभी दहेज की मांग नहीं किये तथा वह उसकी भांजी संध्या के कहने पर झूठी गवाही दे रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उनके समाज में दहेज मांगने की कोई प्रथा नहीं है।

12— साक्षी विनोद अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी बैशाखू रामेश्वर एवं कांतिबाई को जानता है। प्रार्थी संध्याबाई उसकी बहन है, जिसे वह जानता है। आरोपी रामेश्वर एवं संध्या का विवाह 06 मई 2011 को जाति रीति रिवाज से चीचगांव जिला मण्डला में संपन्न हुआ था। घटना दिनांक 16 जून 2012 को रामेश्वर और उसके घरवाले संध्याबाई को दहेज की मांग में मोटर सायकिल एवं 50,000/- रुपये की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। एक बार प्रार्थिया संध्या के साथ हुए वाद-विवाद के कारण उनके ससुर बैशाखू ने चीचगांव छोड़ दिये थे। आरोपी रामेश्वर ग्राम चिचगांव आया था, तब समझाकर उसके साथ संध्या को भिजवा दिये थे। उनके घर में रामेश्वर के पड़ोसी का फोन आया और बताया कि संध्या कुएं में गिर गई है, तब उसके पिता प्रताप एवं मसियाबाई और मामा रामकिशोर उसके एवं कोटवार ग्राम

परसाटोला गये थे और उसे बताये की लड़की संध्या को सुसराल वालों ने खटिया पर रस्सी से बांध कर रखे है और संध्या ने बताया थी की लकड़ी एवं बेल्ट से मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है, फिर उसे खुलवाया और संध्या का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में करवाये थे बताये थे। पुलिस ने उसके सामने संध्याबाई से शादी का आमंत्रण कार्ड, शादी की फोटो एवं दहेज की सूची जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.06 पुलिस को देना व्यक्त किया।

13— साक्षी विनोद अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्रार्थिया उसकी छोटी बहन है, जो कक्षा चौथी तक पढ़ी है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी बहन संध्या का विवाह आरोपी रामेश्वर से सामाजिक रीति-रिवाज से हुआ था। उसकी शादी का रिश्ता उसके गांव की हुलियाबाई ने चलायी थी, विवाह के समय आरोपीगण ने कोई दहेज की मांग नहीं किये थे, उनके समाज में दहेज में जो दे देते है वह ले लेते है। दहेज मांगने की कोई प्रथा नहीं है, उसकी बहन विवाह के एक माह पश्चात तक ससुराल में अच्छे से रही, उसकी बहन जब ससुराल में रही तो उनके घर भी आती जाती थी और वह लोग भी जाते थे, वह लोग भी गये तो उनका आदर सत्कार किया गया, दिनांक 16 जून 2012 को उसके ससुर के साथ उनके घर आई थी। उसकी बहन के ससुर जब उसकी बहन के साथ आये थे, तब करीब आधा घंटा तक रुके थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जब उसकी बहन आरोपीगण के साथ आयी, तो उसने दहेज की मांग के संबंध में कोई बात नहीं बताया थी, जब उसकी बहन उसके घर आयी उस समय वह गर्भवती थी। बाद में एर्बाशन हो गया था। साक्षी ने अब कहा कि उस समय वह बालाघाट में था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसकी बहन का उसके माता-पिता ने जानबूझकर एर्बाशन करवाये थे, उसकी बहन को जो दहेज दिया था, उसे वापस ले गये है, आरोपी राजेश्वर को उन्होंने बोला था कि उनके गांव में आकर रहो।

साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उनके गांव में मेला लगता है और मेला के समय उनके रिश्तेदार उनके घर आते हैं, उसकी बहन जब परसाटोला में रहती थी, तो उससे फोन से बात होती थी तथा दामाद रामेश्वर से भी बात होती थी, उसकी बहन और दामाद रामेश्वर दोनों साथ में आने की बात बताये थे।

14— साक्षी विनोद अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी बहन और दामाद रामेश्वर मेले में आये थे या नहीं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उससे और उसके घरवालों से आरोपीगण ने दहेज की मांग कभी नहीं किये थे, विवाह के बाद आरोपी रामेश्वर उसके घर दो-तीन बार आया था, उसकी बहन के गर्भपात के दो-तीन माह बाद आरोपी रामेश्वर ले कर गया था, जब उसकी बहन उसके ससुराल गई तो आरोपीगण ने उसे तीन-चार महिना तक अच्छे से रखा, उसके बाद वह एक बार उसकी बहन को उसी के ससुराल देखने गया था और मिलकर आया था, जब वह गया था, तो उसकी बहन उसके साथ नहीं आयी और ना ही मायके आने की जिद की, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसकी बहन के कुरें में गिरने वाली बात आरोपी रामेश्वर ने फोन करके बताया था। साक्षी के कथन अनुसार पड़ोसी ने बताया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसके ससुराल में नहीं रहना चाहती थी और मायके में उसके पति के साथ रहना चाहती थी और आरोपी को भी उन्होंने बोले थे कि ससुराल में आकर रहे, आरोपी रामेश्वर ने बोला था कि वह अपने परिवार को छोड़कर नहीं आ सकता, उसकी बहन अमरुद का फल तोड़ते हुये कुरें में गिर गई थी। वह घटना के दूसरे दिन बैहर आया था और बैहर से वापस चला गया था। रिपोर्ट करने के 08-10 दिन बाद थाने पर आया था। किस तारीख को थाना आया था, इसकी जानकारी नहीं है। वह अकेला थाने आया था। उसकी बहन संध्या साथ में नहीं थी।

15— साक्षी विनोद अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया कि वह जब 08-10 दिन बाद आया था, उस समय

जप्ती पत्रक प्रपी-4 के ब से ब भाग पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी के अनुसार जिस दिन थाने में रिपोर्ट किये थे, उसी दिन हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी बहन से दहेज की मांग नहीं किये, आरोपीगण के विरुद्ध उसकी बहन से पचास हजार रुपये एवं मोटरसायकिल के लिए झूठी रिपोर्ट की है, उसकी बहन आरोपी रामेश्वर के साथ रहना नहीं चाहती है और उन्होंने उसकी बहन के कहने पर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में कथन कब लिये उसकी तारीख उसे याद नहीं है।

16— साक्षी प्रताप अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। प्रार्थी संध्या उसकी पुत्री है। उसकी पुत्री का विवाह वर्ष 2011 में आरोपी रामेश्वर के साथ जाति रीति-रिवाज अनुसार संपन्न हुआ था। उसने अपनी पुत्री को विवाह में अपनी स्थिति अनुसार भेंट देकर ससुराल बिदा किया था। उसकी पुत्री अपने ससुराल में कुएं में गिर गई थी, तब वह उसके ससुराल गया था और अपनी पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराया था, उसके बाद अस्पताल से छुट्टी करवाकर अपने घर लाया था। उसकी लड़की कुएं में गिर गई थी, उसकी रिपोर्ट थाने में किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसकी पुत्री संध्या ने उसे आरोपीगण द्वारा दहेज में 50 हजार रुपये और मोटर सायकल की मांग कर प्रताड़ित करने वाली बात बतायी थी, पुत्री संध्या आरोपीगण की प्रताड़ना से अत्यंत बीमार हो गई थी, जिसे उन्होंने बैहर अस्पताल में भर्ती कराये थे, आरोपीगण ने संध्या को रस्सी से बांधकर कर रखे थे, आरोपीगण से राजीनामा हो चुका है, इस कारण आरोपीगण को बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिसवालों द्वारा उससे कोई पूछताछ नहीं की गई थी, उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि आरोपीगण ने उसकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसने पुलिस को प्रदर्श डी-1 का

कथन नहीं दिया था, आरोपीगण से उनका राजीनामा हो गया और वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता।

17— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह दिनांक 26.11.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा टी.आई. बैहर को आहत श्रीमती संध्याबाई को आई चोटों के कारण भर्ती किया गया था, लाने वालों के अनुसार उक्त चोटें कुएं में गिरने से आयी थी। आहत को भर्ती कर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण उक्त दिनांक को ही किया गया था, जिसका मुलाहिजा प्रतिवेदन आरक्षक प्रदीप 1068 थाना बैहर द्वारा लाया गया था। उसने आहत के शरीर पर कंट्यूजन विथ एब्रेजन जो कि तिरछापन लिये मध्य भाग पर एक छोटे आकार का खरोंच का निशान पाया था, जिस पर सूखा हुआ रक्त पाया था, अनियमित किनारे लिये हुए, उक्त चोट नीचले होंठ पर बांयी और पाया था तथा एक कंट्यूजन तिरछापन, कालापन तथा अनियमित किनारे लिये हुए थी, उक्त चोट पीठ पर दाहिने तरफ पाया था, आहत द्वारा दोनों रिस्ट ज्वाइंट पर दर्द होना बताया गया और यह भी बताया गया कि वह कुएं में गिर गई थी, आहत होश में थी, नब्ज 82 पर मिनट, रक्तचाप 120/78 मर्करी, हृदय तंत्र भर्ती के समय सास में तकलीफ हो रही थी, ईलाज के बाद उसकी हालत में सुधार होना पाया था। उसके मतानुसार आहत को चेस्ट के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई थी तथा शेष चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी तथा चोट क्रमांक 02 फिस्ट जगह से आ सकती थी। चोट क्रमांक-01 उसके जांच के 24 घंटे के अंदर की है तथा शेष चोट 24 से 36 घंटे की अंदर की है, आहत को ऑब्जर्वेशन के लिए आगे ईलाज हेतु बालाघाट रिफर किया गया था, उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर अस्पताल बैहर की तहरीर लेख की गई थी, जो प्रपी-2 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने बताया थी कि उसे कुएं में गिरने

से चोटें आई हैं, किन्तु यह अस्वीकार किया कि कोई व्यक्ति जान-बूझकर नहीं धोखे से भी कुएं में गिर जाये तो उक्त चोटें आ सकती हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा पुलिस थाना बैहर में भेजी गई तहरीर में कुएं से गिरने से चोट आई है, लिखा है, वह सही है, चोट क्रमांक-01 एवं 02 अलग-अलग समय में आना संभव है, उसके द्वारा आहत को उक्त ईलाज हेतु रिफर किया गया था, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर की बेड हेड टिकिट में दर्शित रिपोर्ट अनुसार आहत उच्च ईलाज हेतु बालाघाट नहीं गई होगी, यदि आहत/मरीज को उच्च ईलाज हेतु रिफर किया जाता है, तो उसके पूर्व दिया गया अभिमत अंतिम अभिमत नहीं होता है, आहत के परीक्षण के दौरान उसमें पानी में डूबने के लक्षण नहीं पाये गये थे।

19— प्रकरण में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी स्वयं आहत संध्याबाई अ.सा.04 है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। उक्त साक्षी ने पुलिस को कथन दिये जाने से स्पष्ट इंकार कर व्यक्त किया कि आरोपीगण द्वारा उसके साथ किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई और वर्तमान में विवाह विच्छेद पश्चात वह अलग निवासरत् है तथा उसे स्त्रीधन नुकसानी के साथ वापस प्राप्त हो चुका है। अन्य साक्षीगण रामकिशोर अ.सा.02 तथा विनोद अ.सा.03 अनुश्रुत साक्षी हैं। यद्यपि चिकित्सक साक्षी डॉ० एन०एस० कुमरे अ.सा.01 की साक्ष्य से आहत की चोटों की पुष्टि होती है, परंतु चोटें अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई थी, उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। आहत संध्याबाई अ.सा.04 द्वारा व्यक्त किया गया है कि उसका अभियुक्तगण से समझौता हो चुका है और वह उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

20— उपरोक्त विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने फरियादी संध्या को खटिया में रस्से से बांधकर सदोष परिरोध कारित कर फरियादी संध्या के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित

किया, घटना दिनांक 05.06.11 को फरियादी संध्या से रामेश्वर से विवाह के एक वर्ष पश्चात से स्थान ग्राम करेली, थाना बैहर अंतर्गत फरियादी के पति/ससुर/सास होते हुये फरियादी संध्या को मोटर साइकिल एवं नगद राशि के रूप में दहेज की मांग कर उसके साथ कूरता पूर्ण व्यवहार कर फरियादी संध्या विवाह के संबंध में उसके माता पिता/पालक से संध्या के माध्यम से परोक्ष रूप से दहेज के रूप में मोटर साइकिल व नगद राशि की मांग की। फलतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-342, 323 498क एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

21- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक प्लास्टिक की बोरी से बना रस्सा चराठ व एक कमर का काले रंग का बेल्ट मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

22- प्रकरण में अभियुक्तगण दिनांक 04.12.2012 से दिनांक 06.12.2012 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट